न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीकान्त व्यास, R.A.S.

पत्रावली संख्या : **07/19 (अपील)(16/16 पुराने नम्बर)**

GCMS No. : 2019/00361

अनवान्

1. मु. प्यारी पत्नी चुनिया भाट निवासी बीडघास तह. मावली। **(मृतक तर्क किया)**
2. श्री शम्भु पिता चुनिया भाट निवासी बीडघास तह. मावली।
3. श्री शांतिलाल पिता चुनिया भाट निवासी बीडघास तह. मावली।
4. श्री कैलाश पिता चुनिया भाट निवासी बीडघास तह. मावली।
5. श्री ओमप्रकाश पिता चुनिया भाट निवासी बीडघास तह. मावली।
6. सन्तोष पुत्री चुनिया भाट निवासी बीडघास तह. मावली।
7. कमला पुत्री चुनिया भाट निवासी बीडघास तह. मावली।

.............अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती राजुबाई पत्नी दोला गुजर निवासी फौजा बा का कुआ लोपडा तह. मावली।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत लोपडा, पंचायत समिति मावली।
3. पटवारी, पटवार हल्का लोपडा तह. मावली।

.......................रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित—1. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता अपीलान्ट्स।
2. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट् सं. 1

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

<u>अपील विरुद्व निर्णय ग्रा.प. लोपडा, बाबत ना. सं. 520 दि. 21.07.2005</u>

—: : <u>निर्णय</u> : :—

दिनांक : 06.02.2023

1. अपीलाण्ट्स द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपील निर्णय ग्राम पंचायत लोपडा बाबत् नामान्तरण संख्या 520 दिनांक 21.07.2005 के विरूद्व मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई। अपील के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि नामान्तरकरण संख्या 520 ग्राम पंचायत लोपडा द्वारा स्वीकृत करने में भारी कानूनन भूल की गई हैं। अधीनस्थ पंचायत ने उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पहले हम अपीलान्ट्स को कोई सूचना नही दी गई है जबकि उनको सूचना देना आवश्यक था। अधीनस्थ पंचायत ने नामान्तरकरण संख्या 520 को स्वीकृत करते स[illegible]तावेज को भी नहीं देखा है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:56:22 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरकरण स्वीकृत करने के लिए कोई विस्तृत फैसला भी नहीं लिखा है इसलिए भी यह नामान्तरकरण खारिज होने योग्य हैं।

2. यह कि हम अपीलान्ट ने अपने 1/4 हिस्से में से केवल 6 बीघा का ही बेचान किया है तथा बिकावनामें में भी 6 बीघा ही लिखा हुआ है इस तरह हमने अपना पूरा 1/4 हिस्सा नहीं बेचा है लेकिन पटवारी हल्का व इन्स्पेक्टर ने दस्तावेज को पूरा नहीं देखकर हमारे पूरे 1/4 हिस्से का म्यूटेशन रेस्पोडेन्ट राजुबाई के नाम पर खोलने का जो लिखा है वो बिल्कुल ही दस्तावेज के विपरित हैं इसलिए इस आधार पर भी यह नामान्तरकरण खारिज होने योग्य हैं। कुलिया जमीन 27 बीघा 5 बिस्वा है और हमारे 1/4 हिस्से में 6 बीघा सवा सोलह बिस्वा जमीन आती है और हम अपीलान्ट ने केवल 6 बीघा ही बेची है। सवा सोलह बीघा जमीन हमारी शेष रहती है और उस जमीन पर हमारा कब्जा आज भी चला आ रहा है तथा रेस्पोडेन्ट राजुबाई का कब्जा केवल 6 बीघा पर ही है। इस तरह अधीनस्थ पंचायत ने उक्त सवा सोलह बीघा का नामान्तकरण गलत रूप से स्वीकृत किया है जो निरस्त होने योग्य हैं।

3. यह कि हम अपीलान्ट को इसकी जानकारी दिनांक 29.11.2016 को हुई जब हमने इन्तकाल की नकल प्राप्त की जब मालूम हुआ कि हमारे पूरे 1/4 हिस्से को रेस्पोडेन्ट राजुबाई के नाम पर स्वीकृत कर दिया गया हैं। जानकारी होते ही यह अपील आप न्यायालय में पेश हैं। मियाद को कंडोन करने के लिए दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा हैं। जेर बहस आदेश ग्राम पंचायत लोपडा ने पारित किया है जिससे इस अपील के श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हैं।

4. अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर जेर बहस आदेश दिनांक 21.07.2005 अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट के नाम पर सवा सोलह बिस्वा जमीन एवं रेस्पोडेन्ट राजुबाई के नाम विक्रय पत्र के आधार पर 6 बीघा जमीन राजस्व रेकार्ड में अंकित किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

5. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा [illegible] बहस में अपील में अंकित तथ्यो को दोहराया एवं दस्तावेज पेश कर [illegible] विरुद्ध होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:56:22 IST
Reason: SelfAttested

अपनी बहस में नामान्तरकरण सही पारित होने से अपीलान्ट की अपील खारिज किया जाने का निवेदन किया।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। नामान्तरकरण सं. 520 दिनांक 21.07.2015 को ग्राम पंचायत लोपडा द्वारा पारित किया गया है। उक्त प्रकरण के पुराने नम्बर 16/16 अपील प्यारी बनाम राजुबाई होकर उक्त अपील दिनांक 16.05.2017 को स्वीकार कर तहसीलदार मावली को रिमाण्ड की गई थी, जिसकी अपील रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय उदयपुर के यहां की गई, माननीय न्यायालय के प्रकरण सं. 103/17 अपील होकर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील दिनांक 05.02.2019 को आंशिक स्वीकार कर न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 16.05.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण में सभी पक्षकारों को उचित एवं पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान कर दस्तावेजो का परिक्षण कर एवं तथ्यों की जांच करा नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये। न्यायालय हाजा की पत्रावली माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय उदयपुर से प्राप्त होने पर दिनांक 28.06.2019 को पुनः दर्ज रजिस्टर की गई जिसके नये नम्बर 07/19 अपील पडे।

8. प्रकरण में दिनांक 29.03.2022 को अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जा चुका हैं।

9. हमने पत्रावली का अध्ययन किया। नामान्तरकरण सं. 520 के अवलोकन से उक्त नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत लोपडा द्वारा पारित किया गया हैं। नामान्तरकरण के अवलोकन से नामान्तरकरण मु. प्यारी पत्नी चुनिया भाट, श्री शम्भु पिता चुनिया भाट, श्री शांतिलाल पिता चुनिया भाट, श्री कैलाश पिता चुनिया भाट, श्री ओमप्रकाश पिता चुनिया भाट, सन्तोष पुत्री चुनिया भाट, कमला पुत्री चुनिया भाट द्वारा श्रीमती राजुबाई पत्नी दोला गुजर के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय किया जाने से उक्त नामान्तरकरण पारित किया गया हैं। चूंकि अपीलान्ट का यह तर्क है कि अपीलान्ट्स ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में सिर्फ 6 बीघा जमीन का ही बेचान किया है जबकि नामान्तरकरण 6 बीघा सवा सोलह बिस्वा का पारित कर दिया हैं। इसलिए नामान्तरकरण खारिज किया जावें। रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा शेष सवा सोलह बिस्वा भूमि का मौखिक बेचान होने एवं भुगतान किये जाने का कथन कर नामान्तरकरण सही पारित होने से अपील खारिज किया जाने का निवेदन किया। हमने विक्रय पत्र दिनांक 02.11.2004 का अवलोकन किया,

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:56:22 IST
Reason: SelfAttested

जिसमें अपीलान्ट्स द्वारा रेस्पोडेन्ट् सं. 1 के पक्ष में मौजा बीडघास पटवार हल्का लोपडा की आराजी नम्बर 702, 703, 708, 709, 710, 711, 712, 713 किता 8 रकबा 27 बीघा 5 बिस्वा भूमि जिसके अपीलान्ट्स 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार है द्वारा अपने 1/4 हिस्से में से रेस्पोडेन्ट सं. 1 को 6 बीघा जमीन का ही विक्रय किया है जबकि नामान्तरकरण 520 के अवलोकन से ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण 6 बीघा सवा सोलह बिस्वा का पारित कर दिया हैं। अतः नामान्तरकरण के अवलोकन से ग्राम पंचायत लोपडा द्वारा यह नामान्तरकरण पारित करने की कार्यवाही की गई है जो कि विधि विरूद्व प्रतीत होती हैं। अतः ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तरकरण की जांच किया जाना आवश्यक हैं। अतः उक्त अपील स्वीकार योग्य पाई जाती हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत लोपडा द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 520 दिनांक 21.07.2005 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार मावली को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर आदेशित किया जाता है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.11.2004 के आधार पर जांच की जाकर नामान्तरकरण पारित करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:56:22 IST
Reason: SelfAttested